Case No BA 1081/2026

<u>न्यायालयः– प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के तृतीय अति. न्यायाधीश दतिया जिला दतिया म.प्र.</u>

जमानत आवेदन क्रमांक	B.A. 1081/2026
फाईलिंग नम्बर	5466/2026
सी.एन.आर. नम्बर	MP3201-006632-2026
संस्थित दिनांक	19-08-2026

1– सौरभ रावत पिता राकेश रावत आयु 19 वर्ष निवासी ग्राम सिजौरा थाना बडौनी जिला दतिया म.प्र.
2– संजय रावत पिता मोहन रावत आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम लमकना थाना बडौनी जिला दतिया म.प्र. .....**आवेदकगण**

बनाम

राज्य द्वारा पुलिस थाना बडौनी जिला दतिया म.प्र.

.....अनावेदक

<u>प्रतिलिपि आदेश दिनांक 20–08–2026</u>

यह जमानत पत्रावली माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की न्यायालय से अंतरण पर प्राप्त।

आवेदकगण/अभियुक्तगण सौरभ रावत एवं संजय रावत की ओर से श्री शिशिर खरे अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री राजेश पस्तोर उपस्थित।

आरक्षी केन्द्र बडौनी जिला दतिया से अपराध क्रमांक 205/26 धारा 125, 296ए, 324(4), 351(2), 3(5), बी.एन.एस. तथा धारा 25, 27 आयुध

अधिनियम की केस डायरी प्रतिवेदन सहित प्राप्त।

प्रकरण आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस पर विचार हेतु नियत है।

आवेदन पर उभय पक्षों को सुना गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण ने अपने आवेदन में यह उल्लेखित किया है कि यह आवेदकगण का धारा 483 बीएनएसएस का प्रथम जमानत आवेदन है। इसके अलावा कोई भी जमानत आवेदन पत्र न तो इस न्यायालय मे, न तो माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है और न ही निराकृत हुआ है। आवेदन के उपरोक्त तथ्यों के समर्थन में ममता रावत का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और उसने इस प्रकरण में पैरवी हेतु श्री शिशिर खरे अधिवक्ता को निर्देशित किया गया है।

जमानत आवेदन के निराकरण हेतु अभियुक्त एवं अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अधोलिखित हैं–

घटना की दिनांक	02.08.2026
अपराध क्रमांक	205/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	03.08.2026
पुलिस थाना	बडौनी जिला दतिया
अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकार्ड	केस डायरी के अनुसार– हॉ
अभियुक्त की गिरफतारी दिनांक	13.08.2026
अभियोग पत्र प्रस्तुतीकरण दिनांक	अनुसंधान जारी।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र इस प्रकार है कि आवेदकगण के विरूद्ध असत्य आधार पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। उनके द्वारा कोई अपराध घटित नहीं किया गया है। धारा 25, 27 आयुध अधिनियम को छोड़कर शेष धारायें जमानती प्रकृति की हैं। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण मे समय लगने की संभावना है। न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिये जाने पर आदेशानुसार जमानत प्रस्तुत को तैयार है इसलिये आवेदकगण की ओर से प्रार्थना की गयी है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया

गया है।

अपर लोक अभियोजक ने आवेदन का विरोध कर आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

अभियोजन कथानक संक्षेप मे इस प्रकार है कि फरियादी देवेन्द रावत पिता दिमानसिह रावत उम्र 26 साल निवासी तोर सनाई हाल मडी बडोनी ने मय अपने ताऊ रामबाबू रावत के थाना उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट किया कि वह गौरव दमेले का दो मंजिल मकान जो मंडी बडौनी में है उसे किराये पर लिये हुए है तथा ऊपर के पोरसन मे वह और उसका परिवार रहता है तथा नीचे वाले पोरसन में उसकी देव मोवाइल के नाम से दुकान है। आज से कुछ दिन पहले संजय रावत निवासी लमकना का मोबाइल सुधरवाने उसकी दुकान पर आया था उसने उसका मोबाइल सुधार दिया था जिसके 1500 रुपये हुए थे तो वह बोला आप मुझे मोबाइल देदो पैसे बाद में दे देगे। उसने कहा नहीं आप पहले रुपये दो इसी बात पर से संजय उससे बुराई मान गया और दूसरे दिन उसके रुपये दे गया था और मोबाइल ले गया था और उसे धमकी दे रहा था कि मै तूझे देख लूगाँ कल दिनांक 02.08.2026 को रात्रि करीबन 10.00 बजे दुकान बन्द करके वह ऊपर पोरसन में अपने बच्चों के पास चला गया था करीब 10.15 बजे बाहर उसके नाम को लेकर माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे उसने तथा पुष्पेन्द रावत ने छत पर चढ़कर बाहर देखा तो संजय रावत निवासी लमकना, सौरभ रावत निवासी सिजोरा, जागेन्द्र रावत निवासी सताई के मोटर साइकिल लिये खड़े थे और तीनो उसका नाम लेकर मादरचोद बहनचोद की अश्लील गालियाँ दे रहे थे। एकदम संजय रावत ने कट्टा निकालकर उसकी टुकान में कट्टे से फायर किया और जागेन्द रावत ने भी कट्टे से भी उसकी टुकान की तरफ हवाई फायर किया जिससे उसका एवं उसके परिवार का जीवन संकट मय पड गया और सौरभ मोटरसाइकिल लेकर तीनो मोटर साइकिल पर बैठकर भाग गये और भागते समय कह रहे थे कि मादरचोद देवेन्द्र तू रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर देगे

फरियादी द्वारा लिखायी गयी उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बडौनी मे अपराध क्रमांक 205/26 धारा 125, 296ए, 324(4), 351(2), 3(5), बी.एन.एस. तथा धारा 25, 27 आयुध अधिनियम के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी एवं प्रकरण को अनुसंधान मे लिया गया। अनुसंधान के दौरान

अभियुक्तगण को गिरफतार किया गया। प्रकरण अभी अनुसंधान के प्रक्रम पर है।

आवेदन पत्र पर उभयपक्षों को सुनने और केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पर आरक्षी केन्द्र बडौनी जिला दतिया के अपराध क्रमांक 205/26 धारा 125, 296ए, 324(4), 351(2), 3(5), बी.एन.एस. तथा धारा 25, 27 आयुध अधिनियम के अधीन अपराध का अभियोग इस आधार पर है कि उनके द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर अभियुक्त संजय रावत द्वारा फरियादी देवेन्द्र की दुकान पर कट्टे से फायर किया। आवेदक/अभियुक्त संजय के आधिपत्य से कट्टा जप्त भी किया गया है। केस डायरी के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्त संजय का इसी प्रकृति का एक अन्य आपराधिक रिकार्ड होना भी दर्शित है। प्रकरण अभी अनुसंधान के प्रक्रम पर है।

ऐसी स्थिति मे प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण पर अभियोजित अपराध की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण को नियमित प्रतिभूति का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस कारण **आवेदकगण/अभियुक्तगण सौरभ रावत एवं संजय रावत** द्वारा प्रस्तुत प्रथम नियमित प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार योग्य न होने से अस्वीकार कर **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर विधिवत अभिलेखागार मे जमा किया जाए।

SAVITA JADIYA
Digitally signed by SAVITA JADIYA
Date: 2026.08.20 15:54:56 +0530

सुश्री सविता जड़िया
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के
न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश
दतिया जिला दतिया म.प्र.